# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 17/536

1. दानमल आत्मज भवानी शंकर जाति ब्राह्मण निवीस सुवांसा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. द्वारिका बाई पत्नी हरीश चन्द पुत्री दानमल जाति ब्राह्मण निवासी सांगोद जिला बारां ।
   1/2. राजेश बाई पत्नी श्यामसुन्दर गौतम जाति ब्राह्मण निवीस दादावाडी कोटा ।
2. भूली बाई आयु बालिग पुत्री श्री भवानीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सुवांसा तहसील व जिला बून्दी ।
3. द्वारका लाल आत्मज दानमल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सुवांसा तहसील व जिला बून्दी ।
4. देवी शंकर आत्मज दानमल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सुवांसा तहसील व जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   4/1. गिरिजा शंकर आयु बालिग आत्मज श्री देवीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सुवांसा तहसील व जिला बून्दी ।
   4/2. कलावती आयु बालिग बेवा देवीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सुवांसा तहसील व जिला बून्दी ।

## बनाम

1. धन्ना लाल आत्मज नन्दलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम सुवांसा तहसील व जिला बून्दी
2. राजमल आत्मज नाथूलाल जाति महाजन निवासी सुवांसा तहसील व जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. ओमप्रकाश गुप्ता आयु 46 वर्ष आत्मज स्व0 राजमल जाति महाजन निवासी 937–938 बसन्त बिहार कोटा ।
   2/2. सुशीला बाई पुत्री राजमल पत्नी बृजमोहन निवासी 479 ए– तलवंडी मोर्डन स्कूल के पास कोटा ।
   2/3. गणेश बाई काबरा पत्नी भगवान काबरा जाति महाजन निवासी हाउसिंग बोर्ड पानी की टंकी के पास बून्दी ।
   2/4. चन्द्रकला पत्नी गिर्राज गुप्ता निवासी ब्राह्मण गॉव नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. रमेश चन्द आत्मज प्रभूलाल जाति महाजन निवासी ग्राम सुवांसा तहसील व जिला बून्दी।
4. द्वारका लाल आत्मज प्रभूलाल जाति महाजन निवासी ग्राम सुवांसा तहसील व जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री मुकेश शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अरविन्द प्रकाश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

**निर्णय** दिनांकः 14.02.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद निषेधाज्ञा एवं प्राप्त करने कब्जा भूमि बाबत् पेश कर कथन किया कि ग्राम सुवांसा तहसील व जिला बून्दी में खसरा नम्बर 178 की रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1179 रकबा 09 बीघा 07 बिस्वा भूमि स्थित है । खसरा नम्बर 1176 रकबा 03 बीघा के खातेदार प्रतिवादी धन्ना लाल हैं । इसी प्रकार खसरा नम्बर 1177/1 रकबा 18 बिस्वा के खातेदार प्रतिवादी राजमल हैं । खसरा नम्बर 177/2 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा के खातेदार प्रतिवादी रमेश व प्रतिवादी द्वारका लाल हैं । सरकारी नक्शे में मात्र खसरा नम्बर 1177 अंकित है । नक्शें में 1177/1 एंव 177/2 की तरमीम नहीं हो रही है । वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी के सहखातेदार वादीगण हैं । सहखातेदार के रूप में जमीन पर काबिज रहने व जमीन का उपयोग एवं उपभोग करने का एक मात्र अधिकार सहखातेदार के रूप में वादीगण को है । प्रतिवादीगण ने अपने खाते की भूमि के उत्तरी दिशा की ओर करीब 08 जरीब लम्बाई में व लगभग 01 जरीब चौडाई में खसरा नम्बर 1178 एवं 1179 की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है । प्रतिवादीगण को वादीगण के सहखातेदारी की भूमि के किसी भी हिस्से पर न तो काबिज रहने का अधिकार है और न अतिक्रमण करने का अधिकार है । प्रतिवादीगण के कृत्य से वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आरजी खसरा नम्बर 1178 एवं 1179 के रकबे के दक्षिण दिशा की ओर करीब 08 जरीब लम्बी एवं 01 जरीब चौडी भूमि पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 1178 एवं 1179 के किसी भी हिस्से पर वादीगण द्वारा सहखातेदार के रूप में प्राप्त अधिकारों में किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं करे, व्यवधान पैदा नहीं करे, कब्जा नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 22.05.2017 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नहीं दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त पत्रावली को लोक अदालत में समझाइश हेतु रखा था परन्तु उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज कर दिया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2017 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ।

7. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्टगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । अगस्त 2017 के प्रथम सप्ताह में लोक अदालत समाप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तारीख की जानकारी होने पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जानकारी प्राप्त हुई जिस पर उक्त उक्त निर्णय एवं डिक्री की दिनांक 13.09.2017 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा दावा पेश किया गया था जिसका जवाब रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश किया गया । दिनांक 22.05.2017 को लोक अदालत में बिना सीपीसी की पालना किये दावा खारिज किया है । पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने अपने अपील मीमो एवं बहस में यह नहीं बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय किसी प्रकार त्रुटिपूर्ण है । सीपीसी की पालना नहीं किये जाने से उन पर क्या प्रतिकूल असर पडा है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा दावा स्थायी निषेधाज्ञा एवं कब्जा प्राप्ति के लिए पेश किया गया था । लोक अदालत में उभय पक्ष उपस्थित हुए हैं और उभय पक्ष की सुनवाई करने के उपरान्त सम्पूर्ण तथ्यों की विवेचना करते हुए निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2017 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्तं अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते पेश करने संशोधित शीर्षक लम्बित थी इसमें दिनांक 31.05.2017 की तारीख दी गई थी और इससे पूर्व ही इसे दिनांक 22.05.2017 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में प्रतिवादी धन्ना लाल के अलावा अन्य 03 पक्षकारों की उपस्थिति बाबत् हस्ताक्षर कराये गये हैं परन्तु उनके नाम अंकित नहीं किये गये हैं । दिनांक 22.05.2017 को न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही पक्षकारान के द्वारा उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है ।

13. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 25.03.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 14.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/2/2020

**(भागवंती जेठवानी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**